झारखण्ड सरकार

कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन,

वन भवन, हजारीबाग।

फोन नं0. 06546-223962, Email- rccf_hzb@yahoo.co.in, rccfhaz@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक : 487 दिनांक : 26-02-2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, (नाम से)
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

विषय : टोरी–शिवपुर न्यू बी0जी0 सिंगल रेलवे लाईन निर्माण हेतु अवशेष 19.85 हे0 (15.89हे0 लातेहार वन प्रमंडल एवं 3.96 हे0 चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : आपका कार्यालय पत्रांक 444 दिनांक 20.02.20116

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में खेद के साथ सूचित करना है कि आप एवं आपके अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल श्री मधुकर द्वारा न तो इस कार्यालय के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और न ही वन सरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की उचित तरीके से समीक्षा की जा रही है। आपके प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया है कि वन प्रमडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा में गम्भीर भूल की गई है एवं अतः उनसे निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगें की क्यों नहीं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अनुशंसा भेज दी जाय :–

1. आवेदन में प्रयोक्ता अभिकरण में कंडिका संख्या–A1(ix) में सूचित किया है कि उक्त परियोजना हेतु गैर वनभूमि का क्षेत्रफल शून्य बताया गया है, जो गलत प्रतीत होता है, क्योंकि उक्त प्रस्ताव 44.4 कि0मी0 लम्बाई में एक अतिरिक्त रेलवे लाईन बिछाने का है। अतएव ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण परियोजना का अंचल अधिकारी से अभिप्रमाणित भू–विवरणी (जमीन का किस्म विवरण सहित) प्राप्त किये बगैर किस आधार पर मात्र 3.96 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव अग्रसारित किया गया है, इसके संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगे।

2. साथ ही इसी प्रकार से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कंडिका संख्या A2(xiii) एवं B1 में भी गलत सूचना अंकित की गई है कि पूर्व में उनके द्वारा कोई वनभूमि प्राप्त नहीं की गई है, जबकि भारत सरकार के पत्रांक 8-72/2008-FC दिनांक 19.04.2011 के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को 197.1993 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–1 की स्वीकृति दी गई है। अतएव वन प्रमंडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पुछे की किस आधार पर उन्होंने उक्त प्रस्ताव के गलत तथ्यों की अनुशंसा की है।

3. साथ ही यह भी पाया गया है कि टोपोशीट में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि को नहीं दर्शाया गया है।

4. आवेदन पत्र के कंडिका–D में वनभूमि में उक्त परियोजना को प्रस्तावित करने का आधार के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।

5. आवेदन पत्र के कंडिका–G में उक्त प्रस्ताव की Cost Benefit Analysis अंकित नहीं की गई है।

6. आवेदन पत्र के कंडिका–H में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति किस आधार पर आवश्यक नहीं है।

7. आवेदन पत्र के कंडिका–K में यह स्पष्ट नहीं है कि कितने व्यक्तियों के दावे FRA में लंबित है एवं इनके बगैर किस आधार पर वनभूमि के अपयोजन की अनुशंसा की गई है।

8. आपको पूर्व मे अनेको बार निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रस्ताव की प्रति प्राप्त होते ही इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि इस कार्यालय द्वारा भी इसकी समीक्षा करके आपको मार्गदर्शित किया जा सके, परन्तु इसके उपरान्त भी आपके द्वारा इस निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपर अंकित कंडिका–1 से 7 के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उक्त त्रुटियों का निराकरण कराकर प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध करायें। मूल रूप में आपके कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव को इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन,

अनु:–यथोक्त।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग शेजन, हजारीबाग
26/02

कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक 632 दिनांक 29/02/2016

012

प्रतिलिपिः– वारिज नयन, उप–मुख्य अभियंता, निर्माण–III, पूर्व मध्य रेलवे दिपुगढ़ा, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आप उक्त उल्लेखित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ शीघ्र इस कार्यालय में समर्पित करें ताकि उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जा सकें।

29.02
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
29/2/16

Dic-Apccf-26.02.2016